

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  
राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 14/2018-सीमा शुल्क (गै.टै./सीए/राआनि)

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2018

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा के अनुच्छेद 152 (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

| क्र. सं. | नोटिसियों का नाम एवं पता   | कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक  | न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम  | नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी  |
|----------|--|--|--|--|
| (1)      | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  |
| 1        | मै सिलिकॉन कान्सैटस इंटरनेशनल प्रा. लि., A-77, डीडीए शेडस, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फ़ेस-II, नई दिल्ली -110020 और 9 अन्य. | फा. स. DRI/BZU/S-IV/Enq-38/(Int-14)/2015<br>दिनांक 22.02.2017,<br>दिनांक 30.07.2018 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.<br>(एससीएन स. 03/2017 डीआरआई-बीज़ेडयू) | प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलाकबाद, नई दिल्ली.<br>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात), न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली.<br>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, चेन्नई-IV, कस्टम हाउस, चेन्नई. | प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलाकबाद, नई दिल्ली. |
| 2.       | मै अपोलो टायर्स लि., 7, इंस्टीट्यूशन एरिया, सैक्टर-32, गुरुग्राम,  | फा. स. DRI/AZU/GRU/Bekaert-Apollo/Int-   | आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई.  | अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना                                     |

|   |                               |  |                     |
|---|-------------------------------|--|---------------------|
| हरियाणा-122001<br>और<br>श्री संजय चतुर्वेदी,<br>खरीद प्रमुख<br>(रैनफोर्समेंट मैटीरियल),<br>मै अपोलो टायरस लि.,<br>7, इंस्टीट्यूशन एरिया,<br>सैक्टर-32, गुरुग्राम,<br>हरियाणा-122001 | 05/2017 दिनांक<br>23.07.2018. | आयुक्त सीमाशुल्क<br>(न्हावा शेवा-III),<br>जवाहरलाल नेहरू कस्टम<br>हाउस,<br>रायगढ़. | निदेशालय,<br>मुंबई. |
|---|-------------------------------|--|---------------------|

फा. स. DRI/HQ-CI/50D/CAA-12/2018-CI]

(शैलेश कुमार)  
अपर निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद, बेंगलुरु।
4. तालिका के स्तंभ (2) वर्णित नोटिसी।